गृह विभाग

आश्वासन संख्या-212/21

प्रसंग एवं विषय

श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिनांक-26.02.2021 की कार्यवाही से ।

विषय :- गाँव की पहरेदारी, निगरानी एवं गुप्त अपराध प्रवृति की जानकारी देने के निहितार्थ चौकीदार/दफादार की नियुक्ति की जाती है । उनके कमजोर आर्थिक स्थिति एवं दक्ष कार्य प्रणाली को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हें चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर सराहनीय कार्य किया है । अन्य कर्मचारी की तरह मृत्यु के उपरान्त इनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है । अक्सर ऐसा देखा गया है कि चौकीदार/दफादार के आश्रितों के आवेदन बहुत दिनों तक साल दर साल लम्बित रखे जाने की प्रवृति प्रायः हर जिला में देखने को मिलती है । समय पर अनुकम्पा आधारित आश्रितों की नियुक्ति न होने से गाँव असुरक्षित सा लगता है । सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति समय-सीमा के अंदर करने के लिए समुचित प्रावधान करना आवश्यक है ।

अतः चौकीदार/दफादार के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नियम समय पर करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

<u>सरकारी आश्वासन</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग के ज्ञापांक- 359, दिनांक-17.01.1990 के द्वारा चौकीदार/दफादारों को दिनांक 01.01.1990 के प्रभाव से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित कर दिया गया है । उस घोषणा के उपरांत चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को सेवाकाल में मृत्यु एवं उपरांत उनके आश्रितों को भी, सरकार के अन्य कर्मियों की भांति अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने का प्रस्ताव अनुमान्य होता है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र निर्गत किये जाते हैं, जो अन्य सरकारी सेवकों की भर्ती, विचार एवं कर्मियों पर लागू है । सामान्य प्रशासन विभाग के उप परिपत्रों में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ सरकारी सेवक की मृत्यु के 5 वर्ष के भीतर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने का प्रावधान है । निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सरकारी सेवकों की मृत्यु की तिथि के अनुसार वरीयता सूची तैयार कर क्रमानुसार उपलब्ध रिक्ति के आधार पर प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाती है । सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्रों के अनुसार अनुकम्पा पर आधारित नियुक्ति किये जाने का कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है तथापि माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए गृह विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को चौकीदार संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार हैं । सेवाकाल में मृत चौकीदार के आश्रितों को अनुकम्पा पर नियुक्ति के गठित मामलों को शीघ्र निष्पादन के संबंध में निर्देश दिया जायेगा । अनुकम्पा नियुक्ति के उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1890, दिनांक 05.01.2014 द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के क्रम में 1 माह पूर्व की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर अपने आश्रितों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु नामित किये जाने का प्रावधान है । उनके आश्रितों को इस प्रकार नियुक्ति की भी चौकीदार संवर्ग के पद पर की जाती है । इस प्रावधान को समय-सीमा पर लागू करने के संबंध में विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से इस विषय को सदन में लाया है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि चौकीदारों के लिए दो विषय हैं और मुझको लगता है कि प्राय: माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होगी । एक जो मृत्यु के बाद अनुकम्पा और दूसरा राज्य सरकार ने 2014, जिसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि जो अगर स्वैछिक सेवानिवृत्ति लेते हैं तो उनको भी एक प्रावधान है कि आप अपने यहां किसी आश्रित को चाहे तो आपका स्थान वह ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण ऐसे आये हैं जो मधुबनी जिला के हैं जिनमें यह देखा गया है कि एक लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी क्योंकि जो प्रक्रिया हैं जैसे जिला में अनुकम्पा समिति की बैठक होनी हैं, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, वह बैठक होती नहीं रहती है । बहुत बार यह भी देखा गया है बैठक हुई लेकिन प्रोसिडिंग पर सिग्नेचर नहीं हुआ, जिलाधिकारी का कहीं ट्रांस्फर हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे विषय ऐसे आये हैं, जो लम्बित हैं और उन आश्रितों को एक लम्बी अवधि तक कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है जिसमें वे बहुत परेशान होते हैं, साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा गया है कि अनुकम्पा समिति की बैठक जब जिला में होती है या जब आप स्वैछिक सेवानिवृत्ति के विषयों पर जब आप निर्णय लेते हैं, छोटे-छोटे कारणों के कारण से भी ऐसे आवेदनों को रद्द किया गया है तो मैं मंत्री महोदय, से यही सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी ऐसे लम्बित मामले हैं, चाहे वह अनुकम्पा मृत्यु के आधार पर हों या स्वैछिक सेवानिवृत्ति हों । एक अभियान चलाकर जितने भी आवेदन विभिन्न जिलों में लम्बित हैं, पेंडिंग हैं, आपने स्वयं भी इस उत्तर में कहा है इसको निष्पादन करवा दिया जाय ताकि उन आश्रितों को एक सहारा भी मिले और गांव में जो उनकी जवाबदेही है, उसका भी निर्वाहन वह समुचित तरीके से कर सके ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा माननीय सदस्य को कि माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । आज ही निर्देश दिया गया है कि अविलम्ब जितने भी पेंडिंग मामले हैं, उन सब का निष्पादन जिला पदाधिकारी करेंगे ।

ज्ञाप संख्या-212- /वि0स0, पटना, दिनांक-03.08.2021 ई0 ।